

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०-08/ज०सं०(नि०) कोर्ट केस-12-28/2017/राँची, दिनांक :

आदेश

श्री अशोक कुमार सिंह (ID 2030), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त को गढ़वा जिला के रमकण्डा प्रखण्ड के अन्तर्गत वरुणवानाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण में बरती गई अनियमितता के मामले में विभागीय आदेश सं०-2933 दिनांक- 06.06.2019 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया है :-

10% पेंशन से कटौती दस वर्षों के लिए।

2. श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा उक्त दण्डादेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर याचिका सं०- W.P.(S) No. 6918/2017 में श्री नवीन कुमार, सरकारी वकील IV के पत्रांक/दिनांक-शून्य द्वारा दिनांक- 25.06.2019 को सुनवाई में माननीय न्यायालय के निम्न आदेश को संसूचित किया गया है :-

.....

a stay has been granted with regard to memo no. 06.06.2019.

अतएव, उक्त आदेश के अनुपालन में उपर्युक्त दण्डादेश सं०- 2933 दिनांक- 06.06.2019 को अगले आदेश तक स्थगित रखा जाता है।


उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक : **3383**राँची/दिनांक **28/06/19**

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची /उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गढ़वा/श्री अशोक कुमार सिंह, (ID-2030) क्वार्टर नं०- 3K/46 डाकघर-बरियातु, हाऊसिंग कॉलोनी, थाना-बरियातु, जिला-राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव।